लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰ आर्थिक क्षेत्र

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भीमताल, नैनीताल के माह 01/2013 से माह 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री आर॰एन॰यादव व श्री अशोक कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20/06/2016 से 27/06/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भीमताल, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा सर्वश्री ए॰के॰ भारतीय एवं सुनील दत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01/02/2013 से 04/02/2013 तक श्री आर॰ एस॰ नेगी-II लेखापरीक्षा अधिकारी के दिनांक 01/02/2013 से 04/02/2013 तक पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुई थी जिसमे कार्यालय के माह 09/2008 से 12/2012 तक के लेखभिलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2013 से 05/2016 तक के अभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी॰

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्षों नें कार्यालय का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. डा॰ बी॰ सी॰ कर्नाटक	विगत लेखापरीक्षा से 31/07/2014 तक
2. डा॰ पी॰ सी॰ काण्डपाल	01/08/2014 से वर्तमान तक

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्रम सं.	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं.	अनिस्तारित कण्डिकाऐं	
		2-A	2-B
1.	152/2005-06	1	-
2.	2001-2003	-	1,2,3,4
3.	6/2002-3/2001	-	1,2
4.	5/99-5/2000	-	1,2,3
5.	4/98-4/99	-	1,2,3
6	5/97-3/98	-	1,3
7..	76/2012-13	-	1

3. अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

4. सतत अनियमिततायेः- शून्य

6 . सम्प्रेषित अवधि मे मुख्य लेखा शीर्षो मे कुल आवंटन एवं व्यय (धनराशि लाख .में)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2012-13	216.05	216.05	170.64	170.64
2013-14	245.83	245.83	124.72	124.72
2014-15	379.01	379.01	155.46	155.46
2015-16	374.50	374.50	157.38	157.38
2016-17 (मई-16 तक)	11.08	___	57.26	35.43

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 1: भूमि विवाद के कारण धनराशि `19.64 लाख की निधियों का अवरोधन ।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल के अंतर्गत पशु सेवा केंद्र पीरुमदारा (रामनगर) के भवन निर्माण कार्य योजना की स्वीकृति लागत ` 19.64 लाख के लिए जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक संख्या-948/14-05/जि.यो. -2013-14 दिनांक 26 सितम्बर 2013 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा पत्रांक-2884/1 सी॰ दिनांक:25/09/2013 के माध्यम से लागत ` 19.64 लाख की प्रदान की गयी थी।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच (06/2016) में पाया गया कि पशु सेवा केंद्र पीरुमदारा के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि ` 8.41 लाख सितम्बर 2013 में तथा `11.23 लाख जुलाई-2014 में ईकाई द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रामनगर को उपलब्ध कराई गयी।

कार्यदायी संस्था द्वारा जैसे ही टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया भू-स्वामी द्वारा भूमि विवाद पैदा कर दिया गया, जिस कारण निर्माण कार्य रोकना पड़ा तथा लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य की प्रगति शून्य थी। इस प्रकार शासकीय धन ` 19.64 लाख (`8.41 लाख + `11.23 लाख) कार्यदायी संस्था के पास लेखापरीक्षा तिथि तक अवरुद्ध पड़ा हुआ था।

उक्त के संदर्भ में इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि पूर्व में भूमि विवादित नहीं थी, वहाँ पर 40-50 वर्ष पूर्व से ही 'द' श्रेणी पशु चिकित्सालय कार्यरत्त था भूमि का दाननामा विभाग के पास था, परन्तु भूमि की विभाग के नाम रजिस्ट्री नहीं हो पाई, वर्तमान में भूमि के मूल्य में वृद्धि होने से दानदाता के पुत्र ने दाननामा मानने से इन्कार करते हुए कार्य रुकवा दिया। जिस कारण कार्य की प्रगति शून्य है। दानदाता के पुत्र द्वारा कार्य रुकवाने हेतु कोर्ट के माध्यम से समन निदेशक, पशु पालन विभाग देहरादून निर्गत किया गया है, कोर्ट के स्टे आने के पूर्व धनराशि का आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी थी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दान में प्राप्त भूमि की रजिस्ट्री विभाग ने नहीं करायी थी, जिसके फलस्वरूप भू-स्वामी द्वारा भूमि विवाद पैदा किया गया तथा कार्य रुकवा दिया गया। इस प्रकार कार्य हेतु आबंटित/अवमुक्त धनराशि रु.19.64 लाख कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रामनगर के पास दो वर्षो से अवरुद्ध पड़ी थी।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: विभागीय अदूरदर्शिता के कारण रु.27.56 लाख व्ययोपरांत भी पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण समय पर पूर्ण न किया जाना।

जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा का॰ ज्ञाप सं॰ 1178/बजट आवंटन/पशुपालन विभाग/ आयोजनागत /14-05/ जि॰ यो॰ 2013-14 दिनांक 08/11/13 द्वारा कुंवरपुर में पशुचिकितशालय भवन के निर्माण हेतु ` 22.71 लाख की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भीमताल, नैनीताल द्वारा परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई ,उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, रामनगर के पक्ष में ` 22.71 लाख अवमुक्त कराये गये (11/2013)। राजस्व अनुभाग द्वारा उक्त भवन निर्माण हेतु कुल 0.18 है॰ भूमि पशुपालन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी। (12/2013)

निर्माण इकाई द्वारा एक अनुबंध गठित कर दिनांक 16/12/13 से कार्य आरंभ की सूचना दी गयी। चयनित भूमि पर ग्रामीणो के विवाद करने पर ग्राम सभा के जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर उक्त भवन निर्माण की सहमति बनी(12/2014)।

निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा ` 23 लाख का एक विस्तृत आगणन तैयार कर प्रेषित किया गया था(29/10/13)। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा गलत ड्राइंग होने के कारण लौटा दिया गया था(7/11/13)। पुनः कार्यदायी संस्था द्वारा `30.24 लाख का revised estimate प्रेषित किया गया जोकि 10% सेंटेज प्रभार सहित था (22/11/13)।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भीमताल, नैनीताल के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्यदायी संस्था के साथ कोई MOU गठित नहीं किया गया था। जिससे की कार्य मे देरी होने, कार्य की अपूर्णता की स्थिति में प्रतिपूर्ति आदि का प्रावधान होता। कार्यदायी संस्था के माह 05/2016 की मासिक प्रगति में ` 27.56 लाख के व्ययोंपरान्त भी मात्र 70% कार्य पूर्ण होने का उल्लेख था, जबकि कार्य समाप्त होने की तिथि 12/2015 थी, परन्तु कार्य अभी तक अपूर्ण था। `27.56 लाख व्ययोंपरान्त भी मात्र 70% कार्य पूर्ण होने के कारण लागत वृद्धि की भी संभावना हैं। कार्यालय के पास अनुबंध के संबंध में पूर्ण जानकारी भी नहीं थी। इस संबंध मे इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया की भविष्य में आगामी कार्यों हेतु MOU कराया जाएगा। कार्य 90% पूर्ण हो चुका हैं। अन्य सूचनाएँ कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर सूचित किया जाएगा।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15/12/08 के अनुसार MOU गठित करवाया जाना आवश्यक था। MOU गठन होने से निर्माण संस्था द्वारा गलत estimate प्रेषित करने की स्थिति तथा अन्य कारणो से देरी करने पर उसको देय सेंटेज चार्ज की कटौती की जा सकती थी तथा लागत बढ़ने पर उसका व्यय भार सहन करने की शर्त आदि तय की जा सकती थी। कार्य 90% पूर्ण होने के संबंध में कार्यालय कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं करवा सका जबकि कार्यदायी संस्था की मासिक प्रगति आख्या के अनुसार 12/2015 तक कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था।

अत: विभागीय लापरवाही के कारण कार्य पर रु. 27.56 लाख व्ययोंपरान्त भी कार्य पूर्ण न होने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग **कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भीमताल, नैनीताल** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II